भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2657
16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

गुजरात में मत्स्यपालन

2657. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए गुजरात के तटीय क्षेत्रों में सतत मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजनाएँ शुरू की हैं;
(ख) यदि हाँ, तो ऐसे मछुआरों को सतत पद्धतियों को लागू करने के लिए क्या धनराशि और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है; और
(ग) क्या सरकार की अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के लिए राजसहायता सहित गुजरात में डेयरी सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएँ हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार गुजरात सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में देश में मात्स्यिकी के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। प्रमुख योजनाओं में ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम (2015-16 से 2019-20), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को मात्स्यिकी क्षेत्र तक विस्तारित करना (2018-19 से), फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) (2018-19 से 2025-26), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) (2020-21 से 2024-26) और एक नई केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) (2023-24 से 2026-27) शामिल है। मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, मात्स्यिकी के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, आजीविका को मजबूत करना, मछुआरों की सुरक्षा और संसाधनों की सतता सुनिश्चित करना इन पहलों के मूल में है।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और संबंधित मात्स्यिकी संस्थानों के परामर्श से गुजरात सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने सहित विभिन्न मात्स्यिकी गतिविधियों में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। NFDB ने सूचित किया है कि PMMSY के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान गुजरात के 1200 मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिसके लिए 10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इन क्षेत्रों में सतता के लिए आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की स्थापना, सी वीड की कृषि, रोग प्रबंधन, सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियाँ, झींगा पालन, समुद्री कृषि आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने 160 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ विभिन्न तटीय जलीय कृषि कल्याण योजनाओं को लागू किया है । इस अवधि के दौरान, सतत जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा कामधेनू विश्वविद्यालय और ICAR-CIBA के सहयोग से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार फरवरी 2014 से पूरे देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) योजना लागू कर रहा है। निम्नलिखित दो घटकों के साथ 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए जुलाई, 2021 में योजना का पुनर्गठन किया गया हैः (i) NPDD का घटक "क" गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है, और (ii) NPDD योजना का घटक "ख" "सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी" पर केन्द्रित है । जैसा कि पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा NPDD के तहत NPDD (घटक क) के अंतर्गत सूचित किया गया है, गुजरात में डेयरी सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और निर्माण के लिए 55613.66 लाख रुपए (33917.66 लाख रुपए के केंद्रीय शेयर सहित) के कुल परिव्यय के साथ 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास कोष (DIDF) के अंतर्गत, जो 11,184

करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, डेयरी सहकारी, बहु राज्य डेयरी सहकारी, दूध उत्पादक कंपनियों (MPC), NDDBs की सहायक कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और राज्य सहकारी और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को वित्तीय सहायता (2.5 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान) प्रदान किया गया था। 01.02.2024 को, DIDF को पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) में शामिल कर लिया गया था और अब डेयरी सहकारी समितियां परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार AHIDF के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। 31.10.2025 तक डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO) वाली योजना के अंतर्गत, गुजरात राज्य के 12 दूध संघों के लिए 67233.4 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के लिए 559.78 करोड़ रुपए (नियमित ब्याज अनुदान के रूप में 293.95 करोड़ रुपए और अतिरिक्त ब्याज अनुदान राशि के रूप में 265.83 करोड़ रुपए) की ब्याज अनुदान राशि प्रदान की गई थी।

*****